भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2763

18 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्देश) का प्रचालन

2763. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्देश) को लगातार कम वित्त पोषण और प्रचालनात्मक लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास, अपनी रक्षा अनुसंधान एवं विकास रणनीति के तहत निर्देश को पुनर्जीवित करने की कोई ठोस योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) और (ख) : जी, नहीं । सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के चार पोत निर्माणी अर्थात माझगांव डॉकशिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) तथा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), वित्त वर्ष 2016-17 तक प्रत्येक वर्ष कर के पश्चात अपने लाभ (पीएटी) का 2 प्रतिशत अंशदान निर्देश को देते रहे हैं । निर्देश को दिया गया कुल अंशदान 49.66 करोड़ रुपये था तथा औसत वार्षिक व्यय लगभग 60-80 लाख रुपये था । निर्देश को अपने सावधि जमा से भी ब्याज प्राप्त हुआ है । खाते के अनुसार, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार नकदी और बैंक में जमा राशि 25, 50,00,000.00 रुपये है ।

(ग) और (घ) : निर्देश, भारतीय नौसेना के लिए पोत निर्माण उद्योग से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है । भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो (डब्ल्यूडीबी) ने निर्देश के साथ अनुसंधान एवं विकास भागीदारी के लिए कार्य-योजना तैयार की है।

*****